मुख्य सचिव महोदय के संरक्षण में प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2015 स्टेट एडवाइजरी बैठक (मानव तस्करी रोकने के विषय पर) का कार्यवृत्त।

मानव तस्करी रोकने हेतु (ANTI HUMAN TRAFFICKING) स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 13.08.2015 को प्रमुख सचिव, गृह महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1-श्री अरूण कुमार सिन्हा	-	प्रमुख सचिव, श्रम।
2-सुश्री सुतापा सान्याल	-	डीजी, महिला सम्मान प्रकोष्ठ।
3-श्री कमल सक्सेना	-	सचिव, गृह विभाग।
4-सुश्री मिनिस्ती एस0	-	विशेष सचिव, गृह विभाग।
5-श्री पी0एन0सिंह	-	उपसचिव, गृह विभाग।
6-श्री रविकान्त	-	अध्यक्ष, शक्ति वाहिनी नई दिल्ली।
7-श्री आफताब मोहम्मद	-	यूनिसेफ के चाइल्ड प्रोटेक्शन विशेषज्ञ।
8-श्री लक्ष्मी नारायन नायक	-	यूनिसेफ।
9-श्री अंशुमाली शर्मा	-	चाइल्ड लाइन, लखनऊ।

बैठक में मानव तस्करी रोकने हेतु राज्य स्तरीय बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा स्टेट टॉस्क फोर्स के गठन का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव, गृह विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, न्याय विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ, शक्ति वाहिनी, चाइल्ड लाइन, आई.जी., एस0टी0एफ0 एवं सीमा सशस्त्र बल आदि के प्रतिनिधि होंगे। टॉस्क फोर्स द्वारा राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यीय मानव तस्करी रोकने हेतु आवश्यक नेतृत्व दिया जाएगा एवं इस पालिसी के क्रियान्वयन हेतु यथाआवश्यक समीक्षा की जाएगी। इस हेतु तीन महीनों कम से कम एक बार आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा की जाएगी।
2. टॉस्क फोर्स द्वारा अन्य राज्यों की एजेन्सीज़ के साथ अंर्तराज्यीय स्तर पर मानव तस्करी से पीड़ितों के संबंध में बचाव, सुरक्षा एवं पुनर्वास आदि के कार्य किये जाएंगे। अंर्तराज्यीय बैठकों में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे एवं अन्य राज्यों में जारी मानव तस्करी को रोकने हेतु बेस्ट प्रैक्टिसेज़ का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश में भी क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

3. अन्य राज्यों के साथ मानव तस्करी के पीड़ितों का (चाहे वह उ0प्र0 का हो या अन्य राज्य का हो) संयुक्त रूप से बचाव, पुनर्वास आदि का एम0ओ0यू0 (MOU) साइन करने का उत्तरदायित्व भी टॉस्क फोर्स का होगा। इस हेतु फाइनल एप्रूवल प्रकियानुसार स्टेट एडवाइज़री कमेटी से प्राप्त किया जाएगा।

4. स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह भी अनुमोदन दिया गया कि **छत्तीसगढ़ राज्य** के मॉडल पर मानव तस्करी रोकने हेतु प्लेसमेंट एजेन्सी रेगुलेशन एक्ट **(छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण विनियमन अधिनियम-2013)** बनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्लेसमेंट एक्ट के लिए मूल पत्रावली गृह विभाग द्वारा श्रम विभाग को प्रेषित की जाएगी।

5. स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा मानव तस्करी रोकने हेतु **झारखण्ड राज्य** के मॉडल **(अनआर्गेनाइज्ड माइग्रेन वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एण्ड वेलफेयर एक्ट 2015)** पर उत्तर प्रदेश में भी एक एक्ट बनाने हेतु सहमति दी गई। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में MIGRANT WORKERS ACT हेतु मूल पत्रावली गृह विभाग द्वारा श्रम विभाग को प्रेषित की जाएगी।

6. श्रम विभाग द्वारा प्रथम संस्था मुम्बई व श्रम विभाग, महाराष्ट्र के सहयोग से राजस्थान व दिल्ली में उत्तर प्रदेश के निवासी बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकला कि सर्वाधिक बाल श्रमिक जनपद-बहराइच के थे। उस अध्ययन में जो अपेक्षित कार्यवाही है उसका भी समीक्षा एडवाइज़री कमेटी द्वारा की जायेगी। स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जनपद-बहराइच में मानव तस्करी से पीड़ित बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु बहराइच जनपद के साथ समन्वय स्थापित कर इस हेतु आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाए और इसी तर्ज पर समस्त उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किये जाएं।

7. यूनीसेफ के प्रतिनिधि द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बाल श्रम रोकने एवं मानव तस्करी के प्रकरणों की संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए गृह विभाग एवं श्रम विभाग को मदद करेंगे। इसका पूरा सदुपयोग करने हेतु कमेटी द्वारा दिशा निर्देश दिये गए हैं।

8. स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बहुत से जनपदों में मानव तस्करी रोकने हेतु उच्चतम स्तर के प्रयास किये गए हैं, जिसका डाक्यूमेंटेशन करना, अन्य जिले में इसका प्रचार-प्रसार किये जाना अति आवश्यक है। इस हेतु स्टेट टास्क फोर्स कमेटी द्वारा ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेज़ की शार्ट फिल्म/डाक्यूमेंटरी, प्रचार-प्रसार की सामग्री आदि बनाई जाएगी ताकि किये जा रहे समस्त प्रयासों की जानकारी डिपोसटरी हो जाए।

9. मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा/प्राथमिकता के अंतर्गत स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा शक्ति वाहिनी के साथ गृह विभाग द्वारा आयोजित कराये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं की प्रशंसा करते हुए उसे समस्त उत्तर प्रदेश में समयबद्ध रूप से चलाये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

10. चाइल्ड लाइन के अध्यक्ष द्वारा यह अवगत कराया गया कि मिसिंग चाइल्ड की एफ0आई0आर0 समय से नहीं दर्ज होती है और अभिभावकों द्वारा दी गई सूचनाओं एवं मोबाइल नम्बरों को सर्विलांस पर नहीं डाला जाता, इसप्रकार के महत्वपूर्ण प्रकरणों में लापरवाही होती है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से मिसिंग चिल्ड्रेन के बारे में जब भी कोई एफ0आई0आर0 होगी या जिस भी थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज होगी उसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी एवं मोबाइल नम्बर को सर्विलॉस पर डालकर जॉच अधिकारी को मानव तस्करी के प्रकरण को अत्यधिक महत्व देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हेतु गृह विभाग द्वारा पुनः एस0ओ0पी0 जारी की जाएगी।

11. मिसिंग बच्चों की एफ0आई0आर0 रजिस्ट्रेशन, कॉल डिटेल को सर्विलॉस पर डालकर उचित तलाशी एवं रिकवरी मा0 मंख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पर है, इसलिए प्रतिमाह राज्य सरकार के इन प्रकरणों की मॉनीटरिंग प्रमुख सचिव, गृह के स्तर पर की जाएगी। गृह विभाग द्वारा मानव तस्करी एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराध के संबंध में मानीटरिंग करने हेतु समस्त आई.जी.जोन/डी.आई.जी. परिक्षेत्र के निर्देश जारी किया जायेगा।

12. प्रदेश में 35 एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट कार्यरत हैं, जिसके संसाधनों को बढ़ाना एवं क्रियाशील किये जाना सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह निर्देश दिये गए कि इस हेतु गृह विभाग एवं डी0जी0 महिला प्रकोष्ट द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्राथमिकता के स्तर पर प्रत्येक ए0एच0टी0यू0 को थाना घोषित करने का प्रस्ताव नियमानुसार शासन को डी0जी0, महिला प्रकोष्ट द्वारा भेजा जाएगा।

13. स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मानव तस्करी रोकने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें सबसे अधिक योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को मा0 मुख्यमंत्रीजी के संरक्षण में वर्ष में दो बार पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु प्रतिवर्ष एक एवार्ड दिनॉक 30 जुलाई को अंर्तराष्ट्रीय एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिवस आयोजित किया जाएगा।

14. स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि बहुत जनपदों में मानव तस्करी से जिन पीड़ितों का बचाव हुआ है, उनके पुनर्वास हेतु कोई संरक्षण गृह या अन्य व्यवस्था न होने के कारण काफी पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हो पाता है, इस हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में सुचारू रूप से कार्य करने वाले एन0जी0ओ0 की डायरेक्ट्री बना दी जाए एवं स्टेट एडवाइज़री कमेटी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि सभी जनपदों में एन0जी0ओ0 को चिन्हित कर मानव तस्करी से पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा एवं पुनर्वास आदि कार्य के लिये सभी 35 एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट को जोड़ दिया जाय।

मिनिस्ट्री एस0
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग-15
संख्याः- /6-पु0-15-2015
लखनऊः दिनॉक अगस्त, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
2- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
3- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
6- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल, फ्रंटियर, लखनऊ।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
10- श्री आफताब मोहम्मद, यूनीसेफ।
11- श्री लक्ष्मी नारायण, यूनिसेफ।
12- श्री रविकान्त, अध्यक्ष, शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली।
13- श्री अंशुमालि शर्मा, चाइल्ड लाइन, लखनऊ।

आज्ञा से,

3/8/15
(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।